

भारतीय एथलीट विरपी खराड़ी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एलन मरक ने भी शेयर की उनकी उपलब्धि

सूरत (एजेंसी)। भारतीय एथलीट विरपी खराड़ी ने हरक्यूलिस पिलर को सबसे ऊंचाई तक होल्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ख करा लिया है। यह विरपी ने तोड़ने वाली उपलब्धि गुजरात के सूरत में हुई, जहां खराड़ी ने 2 मिनट और 10.75 सेकंड तक विश्वाल पिलर को पकड़कर अपनी असाधारण ताकत का प्रदर्शन किया।

श्रीक वास्तुकुला से प्रेरित थे खेले 123 इंच ऊंचे और इनका व्यास 20.5 इंच था। 166.7 किलोग्राम और 168.9 एक्स पर लिया, % घर जानकर इन खेलों ने इसान को सहायता की और ताकत की सीमाओं को लांघ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

ने आधिकारिक तौर पर उनकी इस अविश्वासीय उपलब्धि को मान्यता दी और उसका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया।

खराड़ी ने इस उपलब्धि के बाद एक्स पर लिया कि उनके इस कामानमें को तब और विश्वाल मिली जब टेक अवधारणा एलन मरक ने उनके प्रदर्शन का एक वीडियो फिर से शेयर किया। वीडियो को मूल रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक एक्स अकाउंट द्वारा पोस्ट किया गया था।

खराड़ी ने एक्स पर लिया, % घर जानकर वार्क बहुत अच्छी लगा कि एलन मरक ने मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियो एक्स पर शेयर

किया है। मैं बहुत खुश हूं और साथें आसान पर हूं इसके अलावा मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि एक भारतीय की ताकत के लिए मैं दुनिया भर में प्रसारण हो रही है।%

खराड़ी की एक्स पर बायों की गई जागी के मुताबिक उनके नाम कई लैंग्वेज बैल और 13 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं। फिरदेस विशेषज्ञ होने के अलावा वह सीमा सुखा बल (बाएंसफ) के कमांडों को नियन्त्रण युद्ध का प्रशिक्षण देते हैं। उनके पिछले कलारिकोड में एक एक्स में सबसे ज्यादा द्विकृत कैन को हाथ से कुचलना वाला और अपने सिर से सबसे ज्यादा लोहे को सलाखों को मोड़ना शामिल है।



शमी-बुमराह को फिटनेस दिलाने वाले नितिन पटेल ने लिया पद छोड़ने का फैसला

-टीम इंडिया को झटका, अब वीरीसीआई जल्द करेगा नए फिजियो की तलाश

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई रोहित शर्मा की कसानी में टीम ने शनदार इंडियाएल में महिला प्रीमियर लीग की प्रदर्शन किया।

वहाँ महिला प्रीमियर लीग में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स को हाराया एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। अब मुंबई इंडियाएल टी20 क्रिकेट की सबसे सफल टीम में शुरू हुई डल्ल्यूपीएल के पहले संस्करण में खिलाव जीता था। तब को मिलाकर उसने अलंग-अलंग लीग में देखा तो अब कुल 12 दिन खाली जीत है। उसने साल 2008 में इंडियाएल में जीत के साथ ही अपना अधियान शुरू किया था।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उमेन दिल्ली कैप्टेन्स टीम को खिलाव जीता है।

उसने साल 2019 और 2020 में लगातार खिलाव जीते हैं।

इंडियन प्रीमियर ली

सूचना आयोगों द्वारा एकिटविस्ट को ब्लैकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा

बैठक में आरटीआई आवेदकों को काली सूची में डालने और विशेष रूप से कर्नाटक में जुर्माना लगाने की विवादास्पद प्रथा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसने पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्ता के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई। प्रतिभागियों ने ब्लैकलिस्टिंग के लिए कानूनी चुनौतियों, सरकारी कार्रवाई, सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता में सुधार और कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं के बीच आत्मसंयम की आवश्यकता सहित इन मुद्दों के समाधान के लिए रणनीतियों का भी पता लगाया।

* आरटीआई कार्यकर्ता/संगठन: सामूहिक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सूचना आयोग के ब्लैकलिस्टिंग आदेशों को चुनौती दें।

* लोक प्राधिकारी: अपनी वेबसाइटों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लिए कार्य से संबंधित जानकारी प्रकाशित करके धारा 4 प्रकटीकरण लागू करें।

* सूचना आयुक्त: समीक्षा करें कि क्या अनुरोधित जानकारी अपीलों पर निर्णय लेने से पहले धारा 4 अनिवार्य प्रकटीकरण के तहत आती है।

* कर्नाटक सूचना आयोग द्वारा देशभर में आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए

खतरनाक मिसाल स्थापित करने से रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

* कर्नाटक आरटीआई कार्यकर्ता 65,000 लंबित मामलों, विशेष रूप से गुलबर्गा पीठ के लिए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए याचिका दायर करें।

* शिवानंद: मामले की जनहित प्रकृति के कारण कम शुल्क पर आरटीआई ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में डीएम के मामले का प्रतिनिधित्व करने के बारे में अधिवक्ता प्रवीण पटेल से चर्चा करें।

* सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा धारा 4 का अनुपालन न करने के सबूत इकड़ा करके संभावित ब्लैकलिस्टिंग के खिलाफ कानूनी बचाव तैयार करें: रमेश बाबू।

* कर्नाटक आरटीआई कार्यकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों को काली सूची में डालने के लिए एक मिसाल के रूप में एकत्र करें और दस्तावेज करें।

* वीरेश: बिना अतिरिक्त शुल्क लगाए आरटीआई अपीलों के लंबित मामलों को कम करने के संबंध में कर्नाटक सूचना आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

* सूचना आयुक्त: 45 दिनों के भीतर दूसरी अपीलों का निपटान करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करें।

* आत्मदीप: उचित आदेश लेखन और आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्तमान सूचना आयुक्तों तक पहुंचें।

* भारत: पहली अपील आदेश सहित गुजरात सूचना आयोग को दूसरी अपील के लिए पूर्ण दस्तावेज फिर से भेजें, और आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अनुवती कार्रवाई करें।

* डीएम: सुप्रीम कोर्ट मामले के लिए कर्नाटक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आरटीआई के माध्यम से खोजे गए भ्रष्टाचार के मामलों के दस्तावेजी सबूत न्यायालय के प्रासंगिक आदेशों को कानूनी टीम के साथ साझा करें।

* डीएम: कई आरटीआई आवेदनों की फाइलिंग कम करें और केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करें।

* शिवानंद: समीक्षा और चर्चा के लिए समूह के साथ ओंकारनाथ से नमूना आदेश साझा करें।

कर्नाटक ने आरटीआई आवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया

वीरेश कर्नाटक में आरटीआई आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि कर्नाटक सूचना आयोग ने हाल ही में लगभग 30 नागरिकों को काली सूची में डाल दिया है जिन्होंने कई आरटीआई आवेदन और दूसरी अपील दायर की है, जिसमें प्रति अपील 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह प्रथा एक दशक पहले शुरू हुई थी जब एक नए मुख्य आयुक्त ने कई आवेदन दायर करने के लिए चार वकीलों को ब्लैकलिस्ट किया था। वीरेश नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने और जुर्माना लगाने की वैधता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आरटीआई अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वह इस बारे में भी चिंता उठाते हैं कि क्या एक आयुक्त का ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दूसरों पर बाध्यकारी है। वीरेश ने आरटीआई आवेदनों की अधिक संख्या का श्रेय सरकार द्वारा सूचनाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायत कार्यों के बारे में, कानून द्वारा अनिवार्य रूप से खुलासा करने में विफलता को दिया।

आरटीआई अधिनियम में ब्लैकलिस्टिंग और दंड

बैठक में काली सूची में डालने और सूचना आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने के मुद्दे पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वीरेश ने पारदर्शिता की कमी और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना पर चिंता जताई। शिवानंद ने कर्नाटक की स्थिति को समझाया, जहां सूचना आयोग ने व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया था और जुर्माना लगाया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। बैठक में इन फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। देवेंद्र ने सुझाव दिया कि सरकार को अपने कार्यों को वापस लेना चाहिए न कि नागरिकों को काली सूची में डालना चाहिए। समूह ने आरटीआई अधिनियम के पीछे के इरादों को समझने के महत्व और इसे समाप्त करने की क्षमता पर भी चर्चा की। बातचीत आरटीआई अधिनियम के उचित प्रशिक्षण और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के साथ समाप्त हुई।

आरटीआई ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी चुनौतियां

बैठक में आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने के बारे में चिंताओं पर चर्चा की गई। प्रभावित व्यक्तियों में से एक रमेश बताते हैं कि वह संभावित ब्लैकलिस्टिंग को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अन्य प्रतिभागियों ने मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने का सुझाव दिया, हालांकि रमेश सीमित संसाधनों के कारण संकोच व्यक्त करते हैं। समूह ऐसे मामलों का समर्थन करने के लिए पारदर्शिता संगठनों की आवश्यकता पर चर्चा करता है। प्रतिभागियों ने आरटीआई आवेदनों के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता के बारे में भी चिंता जताई। फ्रांसिस ने सुझाव दिया कि सभी प्रभावित पक्षों को इस मुद्दे को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मामले में संयुक्त आवेदन दायर करना चाहिए, क्योंकि आरटीआई अधिनियम में ही ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान नहीं है।

आरटीआई आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करना:

चर्चा गुजरात में आरटीआई आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की विवादास्पद प्रथा पर केंद्रित है। भास्कर बताते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में ब्लैकलिस्ट



श्री श्रीनिवास गांधी जी



श्री राहुल सिंह जी



श्री भास्कर प्रभु जी
वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता
एवं विशेषज्ञ



श्री आत्मदीप जी
पूर्व सूचना आयुक्त
मध्यप्रदेश



श्री वीरेन्द्र कु. ठाकर जी
RTI सिसोर्स पर्सनल
उत्तराखण्ड



श्री वीरेन्द्र कु. ठाकर जी
आरटीआई कार्यकर्ता
वैग्नांत्र

करने का कोई प्रावधान नहीं है, और तर्क देते हैं कि सूचना आयुक्तों के पास आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को आवेदन की आवश्यकता को कम करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत जानकारी का खुलासा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वीरेश ने युक्ति की है कि न तो गुजरात सूचना आयोग और न ही उच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में स्पष्ट रूप से ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। प्रतिभागी इस बात से सहमत हैं कि आरटीआई आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करना कानूनी रूप से समर्थित नहीं है और यह अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

कर्नाटक के डीएम ने कई आरटीआई मामलों से निपटने के अपने अनुभव को साझा किया, जिसमें पारदर्शिता और सूचना तक पहुंचने के अधिकार के महत्व पर जोर दिया गया। टीम ने व्यवस्थित कार्य की आवश्यकता और जागरूक नागरिक होने के महत्व पर सहमति व्यक्त की।

कर्नाटक में आरटीआई प्रक्रिया के मुद्दे

चर्चा कर्नाटक में सूचना के अधिकार (आरटीआई) प्रक्रिया के मुद्दों के इंदू-ग